प्रकाशन सं० २६८

शोध अध्ययन संख्या-२

माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के कार्य निर्वहन में आने वाली कठिनाइयों/ समस्याओं का अध्ययन

मानविकी और सामाजिक विज्ञान विभाग
(राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान)
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्, उ० प्र०
लखनऊ

१९८८

NIEPA DC
D04861

Sub. National Systems Unit,
National Institute of Educational
Planning and Administration
17-B, Sri Aurobindo Marg, New Delhi-110016
DOC. No. 4861
Date 12.9.89

विषय-सूची

अनुक्रम

		पेज संख्या
1. पृष्ठभूमि	....	1
2. उद्देश्य	....	1
3. परिसीमन	....	1
4. कार्यविधि	....	2
5. प्रदत्त विश्लेषण	....	2
6. विविध व्यक्तियों के अनुभव, विचार एवं सुझाव	....	4
7. अन्य सुझाव	....	7
8. विद्यालय प्रबन्ध प्रश्नावली	....	7
9. प्रधानाचार्य प्रश्नावली	....	10
10. निष्कर्ष	....	13

प्राक्कथन

आज अधिकांश विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के समक्ष इस प्रकार की अनेकों समस्यायें उभरकर सामने आती हैं, जिनको सुलझाने में ही उनका मूल्यवान समय व्यर्थ में बीत जाता है। शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति, आदर्श विद्यालयों के निर्माण तथा योग्य नागरिकों की तैयारी में प्रधानाचार्यों को जो समय लगाना चाहिए, वह समय अधिकतर समस्याओं से जूझने में ही व्यतीत हो जाता हैं। समस्याओं के अनेक रुप हैं, कहीं स्वयं प्रधानाचार्यों की त्रुटियाँ ही विद्यालयीय प्रशासन के लिए समस्या बन जाती है तो कहीं अभिभावकों, शिक्षकों, प्रबन्धकों और छात्रों के परस्पर विरोधी एवं स्वार्थपरक दृष्टिकोण के कारण उत्पन्न समस्याएँ भी सारे विद्यालयीय वातावरण को दूषित कर देती है। अतः आज इस बात की विशेष आवश्यकता है कि शिक्षण कार्य को प्रभावशाली बनाने तथा उसके सुसंचालन के लिए विद्यालयों में उचित वातावरण तैयार किया जाय तथा विद्यालयों से संबंधित समस्याओं के मूल कारणों को मालूम कर तत्काल उनका निराकरण किया जाय। क्योंकि इनके रहते शिक्षा में बड़ी क्षति हो रही है।

उक्त संदर्भ के परिप्रेक्ष्य में ही राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद ने विद्यालयों की शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन एवं उनके निवारणार्थ "माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के कार्य निर्वहन में आने वाली कठिनाइयों/समस्याओं का अध्ययन" शीर्षक इस परियोजना पर कार्य किया है। इस परियोजना के माध्यम से प्रधानाचार्यों के रास्ते में आने वाली शैक्षिक समस्याओं के अध्ययन का प्रयास किया गया है। आशा है कि शैक्षिक समस्याओं को सुलझाने में इस परियोजना के निष्कर्षों का लाभ शिक्षा जगत को मिलेगा।

इस परियोजना को पूर्ण करने का श्रेय, इस संस्थान के प्रोफेसर श्री रमा शंकर राम एवं प्रोफेसर श्री बंश लाल प्रसाद को है, जिनकी लगन और विशेष परिश्रम ने इस अध्ययन को मूर्त रूप दिया है, वे धन्यवाद के पात्र हैं।

डा० लक्ष्मी प्रसाद पाण्डेय
निदेशक,
राज्य शैक्षिक अनुसंधान और
प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश।

दो शब्द

स्वतंत्रता के पश्चात देश के कर्णधारों की यह आकांक्षा थी कि योग्य नागरिकों के निर्माण हेतु सारे देश में शिक्षा, सभी को सुलभ करायी जाय। अतः उद्देश्य की पूर्ति के लिए सारे देश में विद्यालयों की संख्या में तीव्रगति से वृद्धि की गई। परिणाम यह है कि आज विद्यालयों में छात्रों की संख्या पहले की अपेक्षा दोगुनी एवं तिगुनी हो गयी है। छात्रों की इस अपरिमित बढ़ती संख्या को विद्यालयीय शिक्षा प्रदान करने के लिए कहीं-कहीं द्विपाली और कहीं-कहीं त्रिपाली योजनाएं विद्यालयों में चलायी गई हैं। लेकिन इस पर भी शिक्षा को सार्वभौम बनाने के मूल में जो अवधारणा थी वह फलीभूत नहीं हो पायी। आशा और अपेक्षा यह थी कि शिक्षा के माध्यम से आदर्श नागरिकों का निर्माण होगा, लेकिन आज स्थिति इसके विपरीत प्रतीत हो रही है। विद्यालयों में जिस आदर्श भावना की कल्पना की गयी थी, वह आज लुप्त होती नजर आ रही है। शिक्षण संस्थाओं में छात्रों के उदण्ड व्यवहार एवं अवांछनीय तत्वों के दैनिक अनावश्यक हस्तक्षेप के कारण विद्यालयीय वातावरण काफी अशान्त हो गया है। विद्यालयों को अनेकानेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानाचार्यों का मुख्य कार्य समस्याओं से निपटना ही रह गया है। शिक्षा के आदर्श बनाये रखने तथा उसे लक्ष्य तक पहुँचाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अस्तु आज इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि इन समस्याओं के मूल कारणों का पता लगाया जाय तथा उनके निराकरण के उपाय अन्वेषित किये जाँय। "राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान, इलाहाबाद ने "माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के कार्य निर्वहन में आने वाली कठिनाइयों/समस्याओं का अध्ययन" इस परियोजना को इसी उद्देश्य को दृष्टि में रखते हुए कार्यान्वित किया है।

प्रस्तुत परियोजना में, प्रधानाचार्यों के समक्ष आने वाली कठिनाइयों/समस्याओं के सम्यक् अध्ययन हेतु, प्रदेश की विशिष्ट संस्थाओं के प्रधानाचार्यों, प्रबन्धकों एवं शिक्षाविदों के अनुभव एवं विचार पृच्छा प्रपत्रों के माध्यम से संकलित किए गए हैं। विद्यालयीय समस्याओं के समाधान हेतु संबंधित प्रधानाचार्यों/प्रबन्धकों एवं शिक्षाविदों के बहुमूल्य सुझावों को भी इस संकलन में दिया गया है।

इस परियोजना को मूर्त रूप देने में संस्थान के प्रोफेसर रमा शंकर राम एवं प्रोफेसर वंश लाल प्रसाद ने विशेष परिश्रम किया। अतः ने साधुवाद के पात्र हैं।

आशा है इस अध्ययन, मनन और विश्लेषण से समस्याओं के मूल कारणों को समझने एवं उनके निराकरण संबंधी जो अनुभवजन्य विचार एवं सुझाव आयें है, उससे शिक्षा जगत के अधिकारी लाभान्वित होंगे और वे शैक्षिक प्रशासन एवं अनुशासन को चुस्त रखने के लिए परिवर्तित परिस्थितियों के अनुरूप नये निर्देश प्रदान कर सकेंगें।

(प्रयागदत्त दीक्षित)
प्राचार्य,
राजकीय केन्द्रीय अध्यापन विज्ञान संस्थान,
इलाहाबाद।

शोध अध्ययन सं० २

माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के कार्य निर्वहन में आने वाली कठिनाइयों/समस्याओं का अध्ययन :

1 पृष्ठभूमि :

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या तथा उनमें पढ़ने वाले छात्रों की संख्या में तीव्रगति से वृद्धि हुई है। आज आम धारणा यह है कि विद्यालयों में अनेकानेक समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इन समस्याओं को सुलझाने के लिए जितने प्रयास किये जा रहे हैं, समस्याएं उतनी ही जटिल होती जा रही हैं। प्रधानाचार्यों को आये दिन प्रशासनिक, शैक्षणिक, वित्तीय एवं अनुशासनात्मक समस्याओं से जूझना पड़ता है। इन विषम परिस्थितियों में उन्हें विद्यालयों में अपने दायित्वों का निर्वहन करना पड़ता है।

अतः यह नितान्त आवश्यक है कि विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के कार्य निर्वहन में आने वाली विभिन्न समस्याओं, उनके उत्पन्न होने के कारणों तथा उनके निराकरण के उपाय अन्वेषित किये जायँ। इसी परिप्रेक्ष्य के उद्देश्य से प्रेरित होकर संस्थान द्वारा इस ज्वलन्त समस्या पर शोध अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

2—उद्देश्य :

इस शोध अध्ययन के उद्देश्य निम्नवत् हैं :—

(क) माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों के कार्य निर्वहन में आने वाली कठिनाइयों/समस्याओं का पता लगाना।

(ख) शैक्षणिक वातावरण को उपलब्धिपरक बनाने के लिए उन कठिनाइयों/समस्याओं के समाधान हेतु सशक्त एवं व्यावहारिक सुझावों की संस्तुति करना।

3—परिसीमन :

इस शोध अध्ययन को प्रत्येक मण्डल के 10 प्रधानाचार्यों, (एक राजकीय इण्टर कालेज, बालक/एक राजकीय इण्टर कालेज, बालिका) दो हाई स्कूल (बालक/बालिका) और छः प्राइवेट इण्टर कालेजों के अतिरिक्त प्रत्येक जनपद के प्रधानाचार्य संघ के अध्यक्ष एवं मंत्री तथा 50 विद्यालय प्रबन्धकों और 50 शिक्षा विशेषज्ञों के विचारजन्य अनुभवों एवं सुझावों तक सीमित रक्खा गया है।

कार्यविधि :

(क) प्रतिदर्श चयन :—इस शोध अध्ययन में प्रत्येक मण्डल के 10 प्रधानाचार्य और जनपदवार प्रधानाचार्य संघ के अध्यक्ष एवं मंत्री, 50 प्रबन्धक तथा 50 शिक्षा विशेषज्ञों को प्रतिदर्श के रूप में रक्खा गया है।

(ख) उपकरण :—निम्नांकित प्रश्नावलियाँ उपकरण के रूप में, इस शोध-अध्ययन में प्रयुक्त की गयी हैं :—

(1) प्रधानाचार्य प्रश्नावली—परिशिष्ट 2

(2) विद्यालय प्रबन्धक प्रश्नावली—परिशिष्ट 3

(3) शिक्षाविदों के लिए प्रश्नावली-परिशिष्ट-4

(ग) प्रदत्त संग्रह :—शिक्षा-विशेषज्ञों से सुझाव और उनके अनुभव प्राप्त करने हेतु 50 शिक्षाविदों के पास प्रश्नावलियाँ भेजी गयी तथा उनसे व्यक्तिगत सम्पर्क भी स्थापित किया गया। केवल 6 (छः) शिक्षा विशेषज्ञों के बहुमूल्य विचार, सुझाव एवं अनुभवों से लाभान्वित हो सके। इसी प्रकार 50 विद्यालय प्रबन्धकों के पास भी उनके अनुभव और सुझाव प्राप्त करने हेतु, प्रश्नावलियां प्रेषित की गयी थी, जिनमें से केवल 7 (सात) विद्यालय प्रबन्धकों ने ही अपने आनुभवजन्य विचारों एवं सुझावों से हमें अवगत कराया है।

प्रत्येक मण्डल के 10 प्रधानाचार्यों के अनुभव, प्रातिक्रियाएँ तथा सुझाव प्राप्त करने के उद्देश्य से राजकीय इण्टर कालेज बालक तथा बालिका एवं निजी इण्टर कालेजों बालक/बालिका के साथ ही हाईस्कूल बालक/बालिका के प्रधानाचार्यों को 100 प्रश्नावलियाँ प्रेषित की गयी। प्रधानाचार्यों को इस व्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। उन्हें इस क्षेत्र में आने वाली शैक्षणिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय तथा अनुशासनात्मक समस्याओं का जितना क्रियात्मक अनुभव है, उतना अन्य किसी को नहीं है। अतः उनके अनुभव, विचार एवं समस्याओं के समाधान हेतु उनसे ही उचित सुझाव प्राप्त करने के प्रयास किये गये हैं। इस प्रयास के परिणाम-स्वरूप राजकीय इण्टर कालेज के उप प्रधानाचार्य, राजकीय कन्या इण्टर कालेज की एक प्रधानाचार्या तथा प्राइवेट इण्टर कालेज (बालक) के 20 प्रधानाचार्य, कन्या इण्टर कालेज की 2 प्रधानाचार्या तथा हाई स्कूल बालक के 1 (एक) एवं (बालिका) के 3 प्रधानाचार्याओं ने अपने अनुभव एवं सुझाव प्रेषित किये।

प्रदत्त विश्लेषण :

3—शिक्षाविद् प्रश्नावली :

कुल 6 (छः) शिक्षा विशेषज्ञों के अनुभव एवं सुझाव प्राप्त हुए हैं जो उन्हीं के शब्दों में निम्नवत है :—

(क) डा० हरद्वारी लाल शर्मा के अनुभवजन्य विचार एवं सुझाव :

(1) मैं अपने लम्बे अनुभव से यह समझता हूँ कि हमारा शासन (आज और अंग्रेजी राज के युग में भी) जनता की शिक्षा के बारे में बिल्कुल भी चिन्तित नहीं है, न कभी रहा है न रहेगा। क्योंकि प्रबुद्ध जनता शिक्षित होकर "भ्रष्ट राजनीति" और इससे भी भ्रष्टतर अवसरवादी नौकरशाही को सहन न कर सकेगी। यह इससे और स्पष्ट है कि हमने शिक्षा को किस प्रकार की प्राथमिकता दी है, क्या इसे बदला जा सकता है?

(2) शिक्षा उद्देश्यहीन है। जिन छात्रों, समाज के लोगों को शिक्षा देना है, उनके जीवन के क्या उद्देश्य हैं? यह अस्पष्ट है। उद्देश्यहीन शिक्षा सफल नहीं हो सकती।

(3) हमारे साधनों का 95 प्रतिशत धन तानाशाही तंत्र के ऐशोआराम पर खर्च होता है, शेष 5 प्रतिशत ही शिक्षा के लिए होता है। ऐसी स्थिति में शिक्षा की आवश्यक मदों पर व्यय करने के लिए कितना बचता है? स्पष्ट है, ऐसी विषम परिस्थिति में शिक्षा को कदापि उद्देश्यपरक नहीं बनाया जा सकता है।

(4) "नई शिक्षा" में यदि हमारा अध्यापक वही रहा जो आज है तो "नई शिक्षा" असफल रहेगी, क्योंकि अध्यापक के आचरण, श्रम एवं निष्ठा में कमी आयी है। इसी कारण उसके सम्मान में भी कमी आयी है। क्या 'नई, शिक्षा" में कुछ ऐसा है, जिससे अध्यापक की कायापलट हो सकेगी। डाक्टर साहब की राय में इसका उत्तर नाकारात्मक है।

(5) शिक्षा के लिए समाज एवं विद्यार्थीवर्ग को उत्तरदायी बनाना होगा जैसा कि ब्रिटिश युग में था। तब न शिक्षा विभाग था न अन्य साधन। फिर भी साक्षरता 70 प्रतिशत थी। लेकिन आज शिक्षा का सारा भार या उत्तरदायित्व प्रधानाचार्य पर होता है, जिसे वह अध्यापकों में बाँट देता है और अध्यापक अपने इस भार को विद्यार्थियों पर छोड़ देते हैं कि "पढ़ो या न पढ़ो, तुम जानो तुम्हारा काम जाने"। अतः इसी कारण शिक्षा का स्तर गिरा है।

(6) शिक्षा जगत में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं अन्य रोगों को दूर करने का साहस क्या शासन, मंत्री या विभाग में है। मंत्रीगण अपनी कुर्सी की सुरक्षा में ज्यादा सचेष्ट रहते हैं, फिर शिक्षा की प्रचलित धारा में किस प्रकार मोड़ दिया जा सकता है।

अन्त में साधन, साहस एवं उत्तरदायित्व के अभाव में आप शैक्षिक जगत की प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं वित्तीय समस्याओं के समाधान में असमर्थ हैं। शिक्षा का पूरा उत्तरदायित्व समाज, विद्यार्थी एवं शिक्षक पर सौंपना चाहिए।

निष्कर्ष रूप में यह कहा जा सकता है कि शिक्षा के स्तरोन्नयन तथा उसमें गुणवत्ता के संवर्द्धन के लिए शासन एवं प्रशासन की अहम् भूमिका होनी चाहिए, जिससे विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार, राजनैतिक हस्तक्षेप तथा

नौकरशाही को समाप्त कर, एक स्पष्ट तस्वीर सामने आ सके तथा सर्वगुण सम्पन्न नागरिकों का निर्माण हो सके। शिक्षा को उद्देश्यपरक एवं रोजगारपरक बनाना होगा। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु इस मद में अधिक वित्तीय साधनों की आवश्यकता होगी। विद्यालयों के प्रशासनिक, अनुशासनात्मक, शैक्षणिक एवं वित्तीय समस्याओं के कारक तत्वों (जैसे -- राजनैतिक हस्तक्षेप, अधिकारियों के हस्तक्षेप तथा असामाजिक तत्वों के हस्तक्षेप) को समाप्त करने के लिए शासन को कारगर कदम उठाने होंगे और प्राचार्य एवं शिक्षकों को हवा के नये रुख से अपने को मोड़ कर, भारतीय आदर्श को ग्रहण करना पड़ेगा।

(ख) श्री प्रभाकर सिंह, भूतपूर्व क्षेत्रीय सलाहकार, एन.सी.ई.आर.टी. के विचार एवं सुझाव :

विचार एवं सुझाव :

श्री प्रभाकर सिंह के विचार से विद्यालयों की निम्नलिखित प्रमुख समस्याएँ हैं :—

प्रशासनिक समस्याएँ :

(1) अध्यापक-प्रबन्धक सम्बन्ध : --श्री सिंह का मत है कि इस स्तर पर प्रबन्ध तंत्र को शिक्षा नीति के प्रति उदासीनता एवं नियमों-अनियमों का उल्लंघन, अध्यापक एवं प्रबन्ध तंत्र के बीच विरोधी दृष्टिकोण, शिक्षा कर्मचारियों की अकर्मण्यता तथा भ्रष्टाचार और शिक्षाविदों की असहभागिता प्रमुख समस्याएँ हैं।

श्री सिंह के विचार से शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों के बीच आपसी सौहार्द एवं स्नेह की कमी है, जिससे उनके आपसी स्वार्थ परक विचारों में टकराव की स्थिति बनी रहती है। प्रायः शिक्षकों में शैक्षिक कर्तव्यबोध का अभाव देखा जाता है। कतिपय विशिष्ट कारणों से शिक्षा संबंधी नीतियाँ केवल फाइलों के पन्नों में उलझ कर रह जाती हैं। उनका कार्यान्वयन विद्यालयीय परिसर में नहीं हो पाता। शिक्षा से संबंधित उच्च अधिकारियों में प्रायः योग्यता एवं संकल्प शक्ति की कमी पायी जाती है और विद्यालयों में नौकरशाही का भ्रष्टाचार सर्वत्र व्याप्त है। बहुधा यह भी देखा जाता है कि अधिकांश विद्यालयों में प्रबन्धक के स्वार्थपरक हस्तक्षेप, राजनैतिक दलों के हस्तक्षेप, अधिकारियों के नकारात्मक व्यवहार एवं अभिभावकों की नासमझीजन्य हस्तक्षेप संबंधी समस्याओं के कारण विद्यालयीय प्रशासन में बाधा उत्पन्न होती है।

(2) **अध्यापक-विद्यार्थी संबंधों का अभाव** : आज शिक्षण संस्थाओं में अध्यापकों का स्नेह व प्यार अपने विद्यार्थियों के प्रति उतना नहीं है जितना पहले था। विद्यार्थी भी अपने गुरुजनों को समुचित आदर एवं सत्कार नहीं देते। संभवतः आज का भौतिकवादी युग इसका कारण है और यही वह कदम है जिसके कारण गुरु शिष्य का पावन रिश्ता टूट गया है। इस प्रवृत्ति ने अनेक समस्याओं को जन्म दिया है।

(3) **विद्यार्थी अनुशासन एवं राजनीति :** आज राजनीति का विकृत एवं भ्रष्ट रूप सर्वत्र व्याप्त है। राजनेता एवं राजनीतिक पार्टियाँ अपने उद्देश्यों की पूर्ति हेतु विद्यार्थियों को भी अपने जाल में फँसाते हैं। इससे विद्यार्थियों में पढ़ाई-लिखाई से अरुचि पैदा हो जाती है और अनुशासनहीनता पनपने लगती है।

1) **पर्यवेक्षण का प्रभावी न होना :**— शिक्षण संस्थाओं में, प्रधानाचार्यों तथा अधिकारियों द्वारा, शैक्षणिक क्रिया-कलापों का समुचित पर्यवेक्षण नहीं हो पाता और न पर्यवेक्षण के समय प्राप्त कमियों को सुधारा जाता है। इस कारण शिक्षकों एवं विद्यार्थियों पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और न वे अपनी त्रुटियों को सुधारते हैं। अतः शिक्षा विभाग तथा प्रधानाचार्यों को चाहिए कि वे पर्यवेक्षण को प्रभावी बनाने के लिए ठोस कदम उठावें।

शिक्षाविद् प्रभाकर सिंह ने विद्यालयों में व्याप्त अनुशासनहीनता के कतिपय कारणों का उल्लेख किया है। जो निम्नवत् है :

(1) विद्यालयीय वातावरण में शिथिलता

(2) राजनैतिक कुप्रभाव

(3) घटिया अध्यापक

(4) दोषपूर्ण परीक्षा प्रणाली

(5) प्रधानाचार्य और अध्यापकों का आचरण तथा

(6) अभिभावक सम्पर्क की कमी।

सुझाव :

श्री सिंह के अनुसार यदि विद्यालयीय अनुशासन में सुधार लाना है तो निम्न बातों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है :—(1) प्रबन्ध व्यवस्था को उत्तरदायित्वपूर्ण बनाया जाय। (2) प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को अपने आचरण में सुधार लाना चाहिए। (3) विभागीय निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु उसे प्रभावी एवं उपयोगी बनाने की आवश्यकता है। (4) विद्यालयों में शिक्षण-सामग्री की कमी को दूर कर, शिक्षणकार्यक्रम को प्रभावी एवं उत्तरदायित्व पूर्ण बनाने की आवश्यकता है। (5) परीक्षा प्रणाली, पाठ्यक्रम तथा शिक्षक प्रशिक्षण में अपेक्षित सुधार के साथ शिक्षाविदों के अनुभवों एवं सुझावों का लाभ उठाकर अनुशासनात्मक समस्याओं को सुलझाया जा सकता है।

शिक्षा संबंधी समस्याओं एवं उनके निराकरण के सम्बन्ध में कुछ अन्य शिक्षाविदों ने जो अपने विचार व्यक्त किये हैं, उनका संक्षिप्त विवरण निम्नवत् है :—

(1) श्री बाल मुकुन्द खानवलकर भूतपूर्व प्राचार्य, ऑमल भाषा शिक्षण संस्थान, इलाहाबाद तथा (2) श्री राम सूरत लाल, अवकाश प्राप्त वरिष्ठ शोध अधिकारी, राजकीय सी.पी.आई. इलाहाबाद ने इस सम्बन्ध में अपनी निम्नलिखित राय व्यक्त की है :—

(1) विद्यालयों की प्रशासनिक समस्याओं के संबंध में इन शिक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि विद्यालयों में प्रायः अध्यापकों के मन में शिक्षण कार्य के प्रति उदासीनता है तथा—

(2) प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों का छात्रों तथा अभिभावकों के साथ व्यक्तिगत सम्पर्क का प्रायः अभाव है, जिससे छात्रों में अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है।

(3) विभाग द्वारा वित्तीय नियमों का कड़ाई से पालन न होने के कारण भी कई प्रशासनिक समस्याएँ उभड़कर सामने आयी हैं।

उपर्युक्त समस्याओं के सुलझाने में प्रधानाचार्य प्रायः अक्षम सिद्ध होते हैं। इसके प्रमुख कारण नीचे दिये जा रहे हैं :—

(क) समाज का विकृत वातावरण एवं सर्वत्र व्याप्त अनुशासनहीनता।

(ख) प्रधानाचार्यों के कार्यों में प्रबन्धकों, राजनीतिज्ञों, विभागीय अधिकारियों एवं असामाजिक तत्वों द्वारा प्रवेश, कक्षोन्नति एवं अनुशासन के क्षेत्र में अनुचित हस्तक्षेप तथा दबाव।

(ग) अभिभावकों, शिक्षकों एवं छात्रों में शिक्षा के प्रति उदासीनता।

(घ) प्रधानाचार्यों एवं शिक्षकों में स्वार्थपरक भिन्न दृष्टिकोण के कारण आपस में सहयोग एवं सहभागिता का अभाव रहता है। उनमें अपने विभागीय एवं सामाजिक कार्यों के प्रति "टीम स्प्रीट" की भावना की कमी है।

(ङ) आज की शिक्षा उद्देश्यहीन है, जिसके कारण बेरोजगारी की समस्या शिक्षित नवजवानों के सामने मुंह खोले खड़ी है। इसका कोई उचित समाधान आज की शिक्षा के पास नहीं है और इसी कारण छात्रों में अनुशासनहीनता व्याप्त है क्योंकि उनकी दृष्टि में भविष्य अंधकारमय है।

इन शिक्षाविदों का विचार है कि यदि छात्रों को अनुशासित रखना है तो सर्वप्रथम शिक्षकों एवं अभिभावकों को स्वयं जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासनप्रिय होना होगा तथा शासन को भी वे अनुशासन प्रिय बना सकेंगे।

(छ) प्रायः देखा गया है कि विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं शिक्षक अपने कार्य के प्रति निष्ठा, लगन एवं मिशनरी स्प्रिट की कमी के कारण अपने दायित्वों का भलीभाँति निर्वाह नहीं कर पाते हैं। अतः प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों को चाहिए कि वे तुच्छ स्वार्थपरक भावना से ऊपर उठकर समाज एवं देश हित में अपने दायित्वों की पूर्ति निष्ठा एवं लगन से करें और यह तभी संभव है जब उनमें आपसी सहयोग एवं सहभागिता की भावना होगी।

(ग) विद्यालयों में भवन की कमी तथा छात्रों को बैठने के लिए उचित व्यवस्था के अभाव संबंधी समस्याओं के समाधान स्वरूप शिक्षा विशेषज्ञों का मत है कि—विद्यालयों में द्विपाली योजना चलाय. जाय तथा शासन एवं समाज से सहयोग प्राप्त कर भवन निर्माण तथा उनकी मरम्मत और अतिरिक्त काष्ठोपकरण एवं अन्य आवश्यक साधनों की व्यवस्था की जाय।

अन्य सुझाव :

(1) शिक्षाविदों के अनुसार यदि विद्यालयों में प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के आवास की उचित व्यवस्था हो जाय तो शिक्षण तथा शिक्षणेतर कार्यों पर बहुत अच्छा सुधारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

(2) प्रधानाचार्यों को और अधिक प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार प्रदान किये जाँय।

(3) नामिका निरीक्षण की आज्ञाओं का विभाग कड़ाई से अनुपालन कराये।

(4) शिक्षक अभिभावक संघों की स्थापना की जाय तथा समय-समय पर गोष्ठियों का आयोजन कर छात्रों की शैक्षिक प्रगति की समीक्षा की जाय तथा अभिभावकों को इससे अवगत कराया जाय। अनुशासन सम्बन्धी समस्याओं की भी गोष्ठी में चर्चा की जाय तथा उसके समाधान में अभिभावकों का सहयोग लिया जाय।

(5) विद्यालयों में शैक्षिक स्तरोन्नयन हेतु प्रधानाचार्य स्वयं भी शिक्षण कार्य करें तथा कड़ाई के साथ उनकी शिक्षण कार्यों का पर्यवेक्षण करना चाहिए। पाठ्येतर क्रियाकलापों में भी प्रधानाचार्यों को व्यक्तिगत रुचि लेनी चाहिए। प्रधानाध्यापक के आदर्शमय जीवन का प्रभाव विद्यालयीय वातावरण पर पड़ता है, जिसका अनुकरण शिक्षक एवं छात्र दोनों ही करते हैं। अतः प्रधानाचार्य को एक आदर्श अध्यापक की भूमिका निभानी चाहिए।

(2) विद्यालय प्रबन्धक प्रश्नावली

विद्यालयीय प्रशासनिक, वित्तीय, शैक्षिक एवं अनुशासनात्मक समस्याओं के सम्बन्ध में विद्यालय प्रबन्धकों से जो सुझाव प्राप्त हुए हैं, उनके सार-संक्षेप निम्नवत् हैं :—

(1) विद्यालयों में छात्रों एवं अन्य शैक्षिक कर्मचारियों के मध्य बढ़ती हुई अनुशासनहीनता।

(2) प्रायः कर्मचारियों, शिक्षकों एवं छात्रों में अपने कार्य के प्रति उदासीनता।

(3) आज के युग में, बढ़ती हुई मँहगाई के कारण, आर्थिक कठिनाइयां भी समस्याओं को जन्म देती है।

(4) विद्यालयीय कार्यकलापों एवं प्रशासन में विभिन्न प्रकार के संगठनों, संघों तथा राजनीतिज्ञों का अनुचित हस्तक्षेप एवं दबाव।

(5) विभागीय अधिकारियों की अक्षमता और नियम विरुद्ध कार्यवाही करके जटिल समस्याएं उत्पन्न करने की प्रवृत्ति-जो कि वे प्रायः दबाव में आकर करते हैं।

(6) अध्यापकों के अभाव में शिक्षण एवं प्रशासन संबंधी कार्यों के सम्पादना में व्यवधान।

(7) शैक्षिक कर्मचारियों के वेतन का विलम्ब से वितरण होना।

(8) अवकाश प्राप्त अध्यापकों के स्थान पर नये अध्यापकों की नियुक्ति न होना अथवा काफी विलम्ब से नियुक्ति होना, इससे संबंधित विषय के अध्यापन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

वित्तीय समस्याएँ :

(1) प्रबन्धकों की यह भी राय है कि शैक्षिक कर्मचारियों को न तो समय से वेतन मिल पाता है और न ही उनकी पेंशन एवं भविष्य निर्वाह निधि की धनराशि। इसका मूल कारण सरकारी कार्यालयों में विलम्ब की प्रवृत्ति है, जिससे कर्मचारियों में काफी असन्तोष रहता है।

(2) प्रायः विद्यालयों में भवनों की विशेषतौर से विज्ञान प्रयोगशालाओं की कमी है। सरकार एवं विभाग द्वारा "विज्ञान" को एक अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाये जाने का निर्णय लिया जा चुका है। ऐसी स्थिति में प्रत्येक विद्यालय में विज्ञान प्रयोगशालाओं की आवश्यकता है। आर्थिक अभाव के कारण विद्यालयों में प्रायः काष्ठोपकरण, विज्ञान संबंधी उपकरण, साज-सज्जा एवं अन्य शिक्षण सामग्रियों का अभाव है। इन कमियों के कारण भी शिक्षण कार्य प्रभावी ढंग से सम्पन्न नहीं हो पाता है।

(3) अधिकांश विद्यालय प्रबन्धकों ने यह स्वीकार किया है कि प्रधानाचार्यों को अपने शैक्षिक दायित्वों के निर्वहन में विशेष कठिनाइयों का अनुभव करना पड़ता है। इसी तरह शिक्षक भी अपने दायित्वों का निर्वहन भलीभाँति नहीं कर पाते। प्रधानाचार्यों के कार्यों में प्रायः राजनीतिज्ञों और समाजविरोधी तत्वों द्वारा अनावश्यक रोड़े उत्पन्न किये जाते हैं।

(4) ऐसा देखा गया है कि सरकारी तंत्र का भी अनावश्यक हस्तक्षेप विद्यालयीय प्रशासन में होता है। शिक्षकों के वेतन वितरण उनके भविष्य निर्वाह निधि आदि का भुगतान समय पर नहीं हो पाता। इनके निस्तारण हेतु अध्यापकों, प्रधानाचार्यों तथा अन्य कर्मचारियों को अनावश्यक ही सरकारी कार्यालयों का चक्कर काटना पड़ता है।

सुझाव :

विद्यालय प्रबन्धकों ने, विद्यालयीय समस्याओं के समाधान हेतु बहुमूल्य सुझाव दिये हैं जो निम्नवत् है :—

(क) **प्रशासनिक :—**

(1) इण्टरमीडिएट एक्ट में तुरंत परिवर्तन किया जाय ।

(2) सेवा शर्तों को बदला जाय ।

(3) विभागीय अधिकारियों के हस्तक्षेप को समाप्त किया जाय ।

(4) सरकार, विद्यालयों को अपने नियंत्रण में ले अथवा प्रबन्ध समिति को विद्यालय की आवश्यकतानुसार कार्य करने दिया जाय ।

(5) विद्यालयों में व्याप्त अनुशासनहीनता को "एक्ट" द्वारा शीघ्र रोका जाय ।

(6) विद्यालयों में प्रतिवर्ष, प्रत्येक विषय के अध्यापक जुलाई माह में ही शासन द्वारा नियुक्त किये जाने चाहिए ।

(7) अनुशासन के लिए प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या कम की जाय तथा शासन टी.वी., रेडियो, सिनेमा आदि के उन्मुक्त प्रदर्शन पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रयत्न करे ।

(ख) **वित्तीय :**

(1) विद्यालयों को शासन द्वारा पर्याप्त वित्तीय सहायता प्राप्त होनी चाहिए जिससे विद्यालय अपनी सर्वांगीण उन्नति कर सके ।

(2) "छात्र हितैषी शुल्क" लगाया जाय । शुल्क रु० 5/- प्रतिमाह प्रति छात्र से लिया जाय । इस शुल्क की विधिवत जाँच कराई जाय । इस धनराशि को छात्र-हित में ही खर्च किया जाय । इसी प्रकार प्रत्येक छात्र (निर्धनों को छोड़कर) से प्रवेश के समय एक कुर्सी और एक डेस्क विद्यालय के लिए दान स्वरूप लिया जाय ।

(3) अनावर्तक अनुदान की पर्याप्त धनराशि विद्यालयों को समयानुसार प्रतिवर्ष प्राप्त हो ।

(4) कुछ प्रबन्धकों ने यह भी कहा है कि विद्यालय के हित तथा उसके विकास को ध्यान में रखकर उसका पूर्ण उत्तरदायित्व प्रबन्धकों को सौंपा जाय और इन विद्यालयों में किसी भी प्रकार की अनियमिता एवं गड़बड़ी के लिए उन्हीं को उत्तरदायी ठहरा कर, उनके विरुद्ध कार्यवाही की जाय ।

(5) विद्यालयों के हितों को ध्यान में रखकर प्रबन्धकों ने यह भी विचार व्यक्त किया है कि अध्यापकों, प्रधानाध्यापकों एवं प्रधानाचार्यों का राजकीय शिक्षकों की भाँति स्थानान्तरण किया जाय । इसका बहुत अच्छा सुधारात्मक प्रभाव विद्यालय के प्रशासन, अनुशासन, शैक्षिक व्यवस्था तथा वित्तीय अनियमितताओं के निराकरण संबंधी प्रक्रियाओं पर पड़ेगा । स्थानान्तरण की प्रक्रिया को

कार्यरूप में परिणित करते समय इस बात पर विशेष ध्यान देना होगा कि सम्बन्धित विद्यालयों में प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों के लिए आवासीय सुविधा उपलब्ध हो। स्थानान्तरण पर आने वाले शिक्षकों एवं प्रधानाचार्यों को यदि आवासीय दुर्व्यवस्था का शिकार होना पड़ा तो परिणाम विपरीत हो सकते हैं जिससे विद्यालयों की प्रगति में बाधा उत्पन्न होगी।

3–प्रधानाचार्य प्रश्नावली :

(क) राजकीय इण्टरमीडिएट कालेजों के प्रधानाचार्यों की प्रतिक्रियाएं।

(1) **प्रशासनिक समस्याएँ :** कुछ प्रधानाचार्यों के यह अनुभवजन्य विचार हैं कि विद्यालयों में प्रायः वांछित विषयों के अध्यापकों की कमी रहती है। इस कमी के कारण संबंधित प्रधानाचार्यों को शैक्षणिक कार्यों के निर्वाहन में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं। शिक्षकों एवं अन्य शैक्षिक कर्मचारियों के लिए विद्यालयों में आवासीय व्यवस्था न होने के कारण, विद्यालय के क्रियाकलापों के सम्पादन में बाधाएं आती रहती हैं। प्रायः यह देखनें को मिलता है कि अध्यापकों द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।

अधिकांश विद्यालयों में विज्ञान पढ़ने वाले छात्रों की संख्या प्रायः अधिक होती है। इसलिए विज्ञान की कक्षाओं में निर्धारित सीमा से काफी अधिक संख्या में छात्र हो जाते हैं। परिणाम यह होता है कि पठन-पाठन का कार्य सुचारु रूप से चल ही नहीं पाता। छात्रों की ओर ध्यान देना भी संभव नहीं होता है। कतिपय विद्यालयों में अवांछनीय तत्वों के हस्तक्षेप के कारण अनुशासन संबंधी समस्याएँ भी उत्पन्न हो जाती है। विद्यालयों को विभिन्न विषयों के सम्यक् पठन-पाठन हेतु जो अनुदान दिया जाता है, वह आज की मंहगाई की तुलना में बहुत ही कम है। इस अल्पता के कारण साधन-सुलभ नहीं हो पाते जिससे छात्रों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः विद्यालयों में प्रयोगशालाओं की उचित व्यवस्था हेतु पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता है ताकि विज्ञान के विभिन्न आवश्यक उपकरणों को खरीदा जा सके और छात्रों को विशेष लाभ मिल सकें।

(ख) प्राइवेट इण्टरमीडिएट कालेजों के प्रधानाचार्यों की प्रतिक्रियाएं :

(1) **प्रशासनिक :** कुछ प्रधानाचार्यों ने यह विचार व्यक्त किया है कि विद्यालयों में प्रायः विज्ञान वर्ग के अध्यापकों का अभाव रहता है॥ नियुक्तियाँ काफी देर से होती हैं जिसके कारण विज्ञान वर्ग के विषयों के अध्ययन-अध्यापन में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। इससे छात्रों का बहुत अहित होता है। इस परिप्रेक्ष्य में प्रधानाचार्यों का सुझाव है कि विद्यालय के हर-एक विषय के अध्यापकों की नियुक्ति जुलाई माह में ही करने की व्यवस्था की आवश्यकता है।

प्रायः यह देखने को मिलता है कि विद्यालयों में प्रवेश तथा कक्षोन्नति के समय प्रबन्ध-तंत्र, अधिकारियों, राजनीतिज्ञों एवं अवांछनीय तत्वों के दबाव एवं हस्तक्षेप के कारण, प्रधानाचार्यों को

उनके अपने प्रशासनिक उत्तरदायित्वों के निर्वहन एवं व्यवस्था को चुस्त रखने में अनेकों कठिनाइयाँ उत्पन्न करता है। इससे प्रधानाचार्य को अनेक प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दोषी कर्मचारियों को अनुशासित रखने संबंधी प्रयासों में भी उनका वेतन प्रबन्ध तंत्र आड़े आता है जिससे प्रधानाचार्यों का प्रभाव विद्यालयों में नगण्य हो जाता है।

अधिकांश प्रधानाचार्यों का यह कहना है कि विद्यालय के शैक्षिक एवं अन्य कर्मचारियों को समय पर वितरण नहीं हो पाता है। प्रायः प्रबन्धकगण वेतन बिलों पर समय से हस्ताक्षर नहीं करते हैं। इसी प्रकार भविष्य निधि से ऋण लेते समय भी समस्याएँ सामने आती हैं। प्रभावशाली व्यक्तियों के तत्संबंधी कागजातों पर प्रबन्धक लोग समय से हस्ताक्षर कर देते हैं लेकिन अन्य के कागजात रोक दिये जाते हैं, जिससे एक विकट समस्या उत्पन्न हो जाती है। सरकारी कार्यालयों में भी उपर्युक्त प्रकरण संबंधी मामलों के निस्तारण में काफी विलम्ब किया जाता है।

वित्तीय –अतः अधिकांश प्रधानाचार्यों का यह विचार एवं सुझाव है कि वित्तीय मामलों में निर्णय लेने एवं वेतन बिलों, चेकों आदि के निस्तारण हेतु हस्ताक्षर के अधिकार केवल प्रधानाचार्यों को दिये जायँ। ऐसा होने पर प्रधानाचार्यों को अपने सहयोगियों, कर्मचारियों एवं छात्रों को अनुशासित रखने संबंधी उठाये गये कदम प्रभावशाली होंगे। अनुशासित रहने पर विद्यालयों की शैक्षिक छवि में भी तेजी से सुधार होगा। इसके साथ ही, प्रशासन एवं अनुशासन संबंधी समस्याओं के पुनः उत्पन्न होने की संभावनायें नहीं रहेगी। यदि उपर्युक्त सुझाव का कार्यान्वयन संभव न हो तो यह सर्वोत्तम होगा कि शासन सभी प्रकार के निजी विद्यालयों का प्रबन्धकीय अधिकार अपने नियंत्रण में ले ले।

प्रधानाचार्यों का कहना है कि "निजी विद्यालयों" को सरकारी अनुदान केवल वेतन वितरण हेतु प्राप्त होता है। इससे विद्यालयों की अन्य वित्तीय समस्याओं का समाधान नहीं हो पाता है। अतः भवन एवं काष्ठोपकरण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, प्रधानाचार्यों की राय है कि सामाजिक एवं अभिभावकीय सहयोग प्राप्त किया जाय। समाज के प्रतिष्ठित एवं उदार व्यक्तियों को विद्यालयों के विकास हेतु दान स्वरूप धनराशि देने के लिए प्रेरित किया जाय। इसी प्रकार प्रवेश के समय समर्थ छात्रों के अभिभावकों से एक कुर्सी एवं डेस्क विद्यालय के लिए दान स्वरूप लिया जाय। इनका यह भी सुझाव है कि प्रत्येक छात्र (निर्धनों को छोड़कर) से कम से कम रु० 5/- प्रति मास "छात्र हितकारिणी शुल्क" भी लिया जाय, जिससे विद्यालयों की अन्य वित्तीय समस्याओं का समाधान किया जा सके।

(3) अनुशासनात्मक :

छात्रों को अनुशासन प्रिय बनाने के संबंध में अधिकांश प्रधानाचार्यों का विचार है कि विद्यालयों में "छात्र संघों" के संगठन पर रोक लगायी जाय तथा अनुशासनहीन छात्रों को सुधारने की क्रमबद्ध योजना बनायी जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु अभिभावकों का पूर्ण सहयोग आवश्यक है। अतः अध्यापक-अभिभावक संघों का गठन किया जाय तथा समय उनकी गोष्ठियाँ आयोजित की जाय और समस्याओं को सुलझाने के उपाय ढूढ़े जायें। अध्यापकों का

छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यक्तिगत सम्पर्क हो और वे छात्रों में व्याप्त असन्तोष एवं उनकी अन्य परेशानियों का पता लगायें तथा उनके निराकरण का प्रयास करें एवं उपाय सुझायें। इस तथ्य का भी मनोवैज्ञानिक अध्ययन किया जाय कि बालकों द्वारा किये गये अपराधों के मूल में उनकी कौन-कौन सी दमित भावनायें काम करती हैं। निराकरण का प्रयास भी आवश्यक है। यदि पूर्ण मनोयोग से यह कार्य सम्पादित किया जाय तो विद्यालय के अधिकांश अनुशासनहीन छात्रों को सही रास्ते पर लाया जा सकता है।

अधिकांश प्रधानाचार्यों ने प्रायः यह स्वीकार किया है कि विद्यालयों के अध्यापक निर्धारित सीमा से अधिक "ट्यूशन" करते हैं। कक्षाओं में अध्यापन के समय वांछित रुचि नहीं लेते। छात्रों में अनुशासनहीनता का यह भी एक मुख्य कारण है। अतः सरकार को चाहिए कि "प्राइवेट कोचिंग" (ट्यूशन) को रोकने के लिए कारगर कदम उठाये तथा अध्यापकों को चिकित्सकों की भाँति "विशेष अध्यापन भत्ता" देकर, उनकी सुविधाओं में वृद्धि करके "ट्यूशन" की प्रक्रिया को रोकने का सशक्त प्रयास करें।

उनके विचार है कि छात्रों को अनुशासित बनाने के लिए आज अध्यापकों में भी एक विशेष परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। जब तक अध्यापक अपना जीवन एवं व्यवहार आदर्शमय नहीं बनायेगा, कर्तव्यपरायणता का अनुगामी नहीं होगा तथा छात्रों के प्रति सहानुभूति पूर्ण एवं पुत्रवत् व्यवहार नहीं करेगा तब तक छात्रों में व्यापक अनुशासनहीनता को नियंत्रित करना आसान नहीं होगा।

(ग) महिला प्रधानाचार्यों की प्रतिक्रियाएं :—

(1) ग्रामीण अंचलों के बालिका विद्यालयों की प्रधानाचार्याओं की यह स्वीकारोक्ति है कि ग्रामीण अंचलों में छोटी कक्षाओं में प्रवेश की समस्या रहती है लेकिन उच्च कक्षाओं में छात्राओं की संख्या न्यून पायी जाती है॥ पूरे सत्र तक प्रवेश की समस्या बनी रहती है। विद्यालयों में आवासीय व्यवस्था के अभाव के कारण शिक्षिकाओं को प्रायः दूर से आना पड़ता है। इन स्थितियों का सीधा प्रभाव विद्यालय के शैक्षणिक वातावरण पर पड़ता है तथा विद्यालय के प्रशासन को सुचारु रूप से चलाने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता हैं।

(2) अन्य समस्याएं :

ग्रामीण अंचलों के विद्यालयों में विज्ञान की कक्षाओं और काष्ठोपकरणों का अभाव है। तथा उचित एवं पर्याप्त मात्रा में अनुदान ना मिलने के कारण भी अनेक वित्तीय परेशानियाँ उत्पन्न हो जाती हैं।

ग्रामीण अंचलों के "बालिका विद्यालयों" में पठन-पाठन वांछित रीति से नहीं हो पाता है। अध्यापिकाओं के दूर से आने तथा विद्यालयों में असुविधाओं के कारण वे शिक्षण कार्य में विशेष रुचि नहीं ले पातीं हैं। इसके अतिरिक्त अभिभावकों की उदासीनता, विद्यालयीय एवं सामाजिक वातावरण तथा बालिकाओं की घरेलू कार्यों

Systems Unit,
N tion Institute of Educational
nd Aministrat on
ndo Marg, New Delhi-1100
Doc. No. 4861
Date 12/9/89

में ज्यादा व्यस्त रखना यह सब बालिकाओं को पठन-पाठन से विरत रहने के लिए बाध्य कर देते हैं। बालिका विद्यालयों में अनुशासन संबंधी कोई विशेष समस्या नहीं हैं।

शहरी अंचलों के कन्या विद्यालयों की अपनी कुछ विशेष समस्याएं हैं। यहाँ कन्या विद्यालयों की संख्या कम है। अतः छात्राओं के प्रवेश का दवाव बहुत अधिक रहता है। इन विद्यालयों में भी वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण भवन, काष्ठोपकरण एवं अन्य साज-सज्जा की कमी है आज की मंहगाई की तुलना में इन विद्यालयों को मिलने वाला अनुदान भी नगण्य ही है।

निष्कर्ष :

माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापिकाओं के दायित्व निर्वहन में आने वाली कठिनाइयों के सम्बन्ध में शिक्षावि-ों/विद्यालय प्रबन्धकों और प्रधानाचार्यों/प्रधानाध्यापिकाओं ने जो अनुभव व्यक्त किये हैं, सुझाव दिये हैं उनका निष्कर्ष निम्नवत् है :—

माध्यमिक विद्यालयों की प्रशासन संबंधी जो मुख्य कठिनाइयाँ हैं उनमें प्रधानाचार्य और अध्यापकों के मध्य आपसी मतभेदों से उत्पन्न कठिनाइयाँ प्रमुख हैं। जहाँ प्रधानाचार्य विद्यालयीय प्रशासन को चुस्त और दुरुस्त करना चाहता है, वहाँ कुछ ऐसे अध्यापक मिल जाते हैं जो कदम कदम पर रोड़े बन कर सामने आ खड़े होते हैं। अध्यापकों की इस प्रकार की हरकतों से ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने दायित्वों का जरा भी ध्यान नहीं रखते और सा ी चीजों का आँकलन पैसे से करते हैं।

कहीं-कहीं प्रबन्धकों/शिक्षाधिकारियों की अनावश्यक दखलंदाजी के कारण विद्यालय प्रशासन में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं। राजनेताओं, एवं असामाजिक तत्वों के अनावश्यक हस्तक्षेप तथा दबाव के कारण विद्यालयीय प्रशासन में और अधिक जटिलताएँ उत्पन्न हो जाती हैं। अध्ययन से यह भी ज्ञात हुआ है कि प्रधानाध्यापकों की स्वयं की त्रुटियाँ सारे विद्यायीय वातावरण को दूषित कर देती है। कहीं-कहीं प्रधानाचार्य, विद्यालय के हित को तिलांजलि देकर अपने स्वार्थ की पूर्ति में लगे रहते हैं, इसके कारण कई प्रकार की प्रशासनिक, वित्तीय, शैक्षणिक एवं अनुशासनात्मक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।

विद्यालयों में विद्यार्थियों का प्रवेश एक विकट समस्या है जो आज चिन्ता का विषय बन गया है। अच्छे विद्यालयों में प्रवेश के लिए इतना अधिक दबाव पड़ता है कि निर्धारित संख्या से दूना या ढाई गुना छात्रों को प्रवेश देना पड़ता है। शहर क्षेत्र के बालिका विद्यालयों में प्रवेश तो एक जटिल समस्या ही है तो सुदूर ग्रामीण अंचलों में ऊँची कक्षाओं में छात्राओं की संख्या बहुत कम है। इन विभिन्न प्रकार की समस्याओं से निपटने में प्रधानाचार्यों को कई प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

विद्यालय के सभी श्रेणी के कर्मचारियों में, अपने-अपने दायित्वों के निर्वहन में प्रायः निष्ठा, ईमानदारी

तथा सजगता की कमी है। इन कारणों से भी प्रधानाचार्यों को विद्यालयीय वातावरण को स्वच्छ एवं सुव्यवस्थित बनाये रखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

वित्तीय :

विद्यालय को सुव्यवस्थित रूप से चलाने में विद्यालय की अर्थ व्यवस्था एक बहुत बड़ा कारक है। आज की विकट मंहगाई और कक्षाओं में छात्रों की बढ़ती हुई भीड़ को दृष्टि में रखकर, यह कहना पड़ता है कि विद्यालय के विभिन्न मदों में जो धनराशि स्वीकृत होती है, वह विद्यालयों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाती हैं। कहीं-कहीं प्रधानों तथा शिक्षकों की व्यक्तिगत भागीदारी भी इस धनराशि में कमी ला देती है, जिससे विद्यालय के विभिन्न कार्यकलापों को सुचारु रूप से चलाने में व्यवधान उत्पन्न होता रहता है। अस्तु इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि विद्यालय के विभिन्न मदों के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत की जाय तथा इसका सही उपयोग सुनिश्चित किया जाय। यह तभी संभव है जब प्रधानाचार्य, शिक्षक और अधिकारीगण शिक्षा के गुरुतर दायित्वों को समझें और उसे सफलता के शिखर तक पहुँचाने में निष्ठा एवं ईमानदारी के साथ शैक्षिक कार्यक्रमों को चलायें।

शिक्षाविदों/प्रबन्धकों एवं प्रधानाचार्यों ने इस बिन्दु पर विशेष बल दिया है कि यदि सरकार विद्यालयों के सम्यक संचालन हेतु उचित धनराशि की व्यवस्था नहीं कर पाती है तो उसे सम्पन्न अभिभावकों एवं उदार व्यक्तियों से विद्यालय के हित में आर्थिक सहायता लेने की अनुमति प्रदान करनी चाहिए। शैक्षिक कार्यों में असफलता का मुख्य कारण शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों को समय से वेतन न प्राप्त होना है। अतः शिक्षा जगत के अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि इस समस्या का सही समाधान खोजें।

शैक्षणिक :

शिक्षाविदों, प्रबन्धकों तथा प्रधानाचार्यों की यह आम राय है कि कक्षाओं में छात्रों की संख्या निर्धारित सीमा से बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण छात्रों के बैठने की उचित व्यवस्था नहीं हो पाती है, न ही अध्यापकगण, छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान दे पाते हैं। छात्रों के लिखित कार्य एवं गृहकार्य को संशोधन के साथ कक्षाओं में प्रयोगात्मक कार्यों का भी संपादन उचित ढंग से नहीं हो पाता, जिससे छात्रों का बहुत बड़ा अहित होता है। कक्षाओं में छात्रों की बढ़ती भीड़ के कारण अनुशासन की भी विकट समस्या खड़ी हो जाती है। अतः उपर्युक्त समस्याओं के समाधान हेतु शासन को एक निश्चित निर्णय लेने की आवश्यकता है। यह उल्लेखनीय है कि विद्यालयों में बढ़ती हुई भीड़ को नियंत्रित करने के लिए शिक्षाविदों प्रबन्धकों तथा प्रधानाचार्यों ने संस्थाओं में द्विपाली योजना पद्धति का सुझाव दिया है।

अनुशासनात्मक :

शिक्षण संस्थाओं में अनुशासन की समस्या जटिलतर होती जा रही है। छात्रों में पहले की अपेक्षा अब

अधिक अनुशासनहीनता देखने को मिलती है। शिक्षाविदों,, प्रबन्धकों तथा प्रधानाचार्यों की यह सर्वसम्मत राय है कि विद्यालयों में व्याप्त अनुशासनहीनता के मूल में ऐसे छात्र कारक तत्व के रूप में हैं, जिनका रुझान पठन-पाठन की तरफ नहीं है। अनुशासनहीनता का दूसरा कारण, विद्यालयों में अनावश्यक रूप से असामाजिक तत्वों का दबाव है। अधिकांश शिक्षाविद्, प्रबन्धक एवं प्रधानाचार्य प्रायः इस तथ्य को स्वीकारते हैं कि अनुशासनहीनता की मुख्य जड़ आज की वर्तमान राजनैतिक व्यवस्था है, जिसमें आदर्श मूल्यों के लिए कोई स्थान नहीं है। भाषणों के वाक्जाल में लोगों को बाँधना, थोथे आदर्शवाद की बात करना तथा दूसरों को उपदेश देना और स्वयं उनके अनुपालन से विरत रहना, अपने पीछे पलट कर न देखना-ये आचरण विद्यालयों में अनुशासनहीता को पुष्पित एवं पल्लवित कर रहे हैं।

अतः देश के प्रबुद्ध जनों से यह आग्रह है कि वे छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए यदि शिक्षा को एक आवश्यक तत्व मानते हैं तो शिक्षण संस्थाओं को राजनीति का अखाड़ा न बनने दें। छात्रों में पढ़ाई-लिखाई की ओर रुचि उत्पन्न करनी होगी और इसके लिए पहले कदम के रूप में विद्यालयों से "छात्र संघों" को समाप्त करना होगा —ये विचार एवं सुझाव हैं शिक्षाविदों/प्रबन्धकों एवं प्रधानाचार्यों के।

प्रायः यह देखा जा रहा है कि आज अभिभावक अपने बच्चों के प्रति जागरूक नहीं हैं। अतः आज अभिभावकों को जागरूक बनाने के लिए इस बात की नितान्त आवश्यकता है कि "अध्यापकों और अभिभावकों" का एक संगठन तैयार किया जाय। इस संगठन में छात्रों को भी सम्मिलित कर एक "अध्यापक अभिभावक एवं छात्र संघ" की स्थापना की जाय। समय-समय पर इस संघ की गोष्ठियाँ आयोजित की जाय और अभिभावकों तथा छात्रों को उनके दायित्वों से परिचित कराया जाय। जब तक अभिभावक अपने दायित्वों का पूर्णरूपेण निर्वहन करते हुए अपना सक्रिय सहयोग प्रदान नहीं करेंगे तब तक अनुशासनात्मक समस्याओं को सुलझा पाना आसान नहीं है।

छात्रों को अनुशासित बनाने के लिए अधिकारियों का सक्रिय सहयोग भी आवश्यक है। क्योंकि विद्यालय के प्रशासन को चुस्त बनाने, उसकी आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और विद्यालय के शैक्षिक वातावरण को आदर्श बनाने में विभागीय अधिकारियों का प्रभावी सहयोग-विशेष महत्व रखता है।

अस्तु सार-संक्षेप में निःसंकोच यह कहा जा सकता है कि विद्यालय की विभिन्न समस्याओं के निराकरण में प्रधानाचार्य/शिक्षक, प्रबन्धक तथा शिक्षा विभाग के विभिन्न अधिकारियों का प्रभावी एवं सक्रिय सहयोग अति आवश्यक है और इस, सहयोग से ही समस्याओं का समाधान संभव है।

NIEPA DC
D04861